राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या/30/2017/बून्दी

मैसर्स मंगल आयरन,
टेलीफोन एक्सचेन्ज के सामने, बून्दी। .....प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बून्दी। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.03.2018

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1724/2012/बूंदी में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 19.02.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2012 अन्तर्गत धारा 25, 61, 72 एवं 75(8) के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2014 द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण को सही मानते हुए प्रार्थी व्यवहारी द्वारा जिस बिक्री के जमा खर्च को लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया है, उनकों उचन्ती बिक्री माना है। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नहीं किया, अतः उनके द्वारा किये गये सर्वेक्षण को न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः उन्होंने प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.02.2014 को संशोधित करने का निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्म के मैनेजर श्री वेदप्रकाश मित्तल एवं दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में सर्वेक्षण किया गया था। साथ ही धारा 33 का दायरा सीमित है एवं प्रार्थी संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से पूर्व में पारित आदेश को परिवर्तित करवाना चाहते है, जो अन्यायोचित है। उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 19.02.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने भौतिक सत्यापन पर पाया कि प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर उपस्थित माल लेखा–पुस्तकों में अंकित माल से कम था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही मैनेजर श्री वेदप्रकाश मित्तल एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में सम्पूरित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2012 के पेज संख्या 2 में लिखा है कि व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.06.2010 को श्री वेदप्रकाश मित्तल मैनेजर की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया गया। उक्त कार्यवाही दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संपूरित की गई थी। अतः माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 19.02.2014 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से यथावत् रखा जाता है।

7. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य